चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं उनकी टीम द्वारा 16 अन्तर्राज्जीय जुआरियों को जुआ खेलते हुये गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

उल्लेखनीय है कि प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि सुभाष भारद्वाज के खेत में बबूल के पेड़ के नीचे बहद कस्बा पहाड़ी में सीमावर्ती जनपद म0प्र0 एवं सीमावर्ती जनपदों के जुआरी जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की घेराबंदी करके कल दिनाँक 29.04.2024 को समय रात्रि 09 बजे ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये 1. लवलेश कुमार पुत्र शिवभवन तिवारी निवासी भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2.राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शिव कुमार चतुर्वेदी निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 3.योगेन्द्र कुमार पुत्र विजय शंकर निवासी रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4. मिथलेश कुमार पुत्र अशर्फी लाल निवासी जरिहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 5.रामबहोरी पुत्र इन्द्रपाल निवासी नयांगाव हनुमानधार रोड थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 6.प्रेमबाबू सिंह पुत्र लाला भाई सिंह निवासी बड़ोखर खुर्द थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा 7.जय प्रकाश पुत्र चन्द्रकिशोर निवासी जरिहा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 8.नरेश पुत्र जोकर निवासी डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 9.निर्भय प्रताप सिंह पुत्र विजयकरन सिंह निवासी इन्दिरा नगर कस्बा बाँदा थाना कोतवाली नगर जनपद बाँदा 10. रघुवीर सिंह पुत्र वृजभूषण सिंह निवासी जरैली कोठी कस्बा बांदा थाना कोतवाली नगर जिला बांदा 11. राम मिलन सिंह पुत्र बच्चा सिंह निवासी पल्हरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा 12. कृपा शंकर पुत्र शिवऔतार निवासी जरिहा पहाड़ी पहाड़ी जनपद चित्रकूट 13. ज्ञानचन्द्र गुप्ता पुत्र भवानीदीन गुप्ता निवासी अतर्रा चुंगी कस्बा बांदा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा 14. राजेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी रामघाट कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 15. मनोज कुमार पुत्र पंचा राम निवासी चितरा चौकी सीतापुर कोतावली कर्वी जनपद चित्रकूट 16. संतोष कुमार पुत्र नारायण निवासी भुरेड़ी (भूरागढ़) थाना मटौंध जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2,12,500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 38,600/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में् मु0अ0सं0 89/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1.मालफड़ 2,12,500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2.जामा तलाशी से 38,600/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल
2.उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा
3.उ0नि0 श्री अवध नारायण
4.मुख्य आरक्षी प्रेमनारायण
5.मुख्य आरक्षी सुशील कुमार
6.आरक्षी शरद कुमार सिंह
7.आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह
8.आरक्षी विनोद कुमार
9.आरक्षी गुड्डू यादव
10.आरक्षी सचिन कुमार
11.आरक्षी हरीशरण

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता अभियुक्त कुसुम कली पत्नी तिलकधारी निवासी कुरियाडीह(सुरगवां) थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 35 लीटर कच्ची शराब, 01 क्विंटल लहन व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया, बरामदशुदा लहन मौके पर नष्ट किया गया । इस क्रम में अभियुक्ता सरोज देवी पत्नी मिठाई लाला वर्मा निवासी कुरियाडीह(सुरगवां) थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 42 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बरगढ़ में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

बरामदगीः-

77 लीटर कच्ची शराब, 01 क्विंटल लहन व शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य
2.उ0नि0 यूटी0 श्री अनुराग
3.मुख्य आरक्षी चालक रमेशचन्द्र
4.आरक्षी अखिलेश
5.आरक्षी आकाश
6.आरक्षी संजीव
7.आरक्षी रोहित
9.महिला आरक्षी रुचि वर्मा
9.महिला आरक्षी सरिता ओझा

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त दिनेस कुमार विश्वकर्मा उर्फ बब्बू पुत्र सूरजपाल निवासी नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि श्री विनय विक्रम सिंह थाना मऊ
2. आरक्षी प्रवीण कुमार पाण्डेय

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्या द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्ड-गर्दी करने वाले अभियुक्त 1.छोटेलाल पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी किटहाई खोहर 2. बुद्धनारायण पुत्र प्रभुनाथ निवासी मुरका 3. देवलाल पाल पुत्र शिवरतन निवासी केचुहट 4. रमाकान्त उर्फ दहचाली पुत्र स्व0 राधेश्याम शुक्ला निवासी बिलरा रैपुरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 96/2024 धारा 354क,452,504,506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त अंशू सिंह पुत्र विनय सिंह निवासी खोंपा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि श्री सेरन्द्र कुमार थाना राजापुर

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

(6). आज दिनाँक 30.04.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले उपनिरीक्षक की विदाई समारोह का आयोजन किया गया । इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उ0नि0 श्री संजीव कुमार शुक्ला को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे उपनिरीक्षक से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू श्री दुर्गविजय सिंह, वाचक श्री पारितोष दीक्षित, प्रभारी सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री निशिकान्त राय, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). साइबर ठगों ने ढूंढ़ा नया-नया तरीका

1.मोबाइल कम्पनी से कॉल

अंजान नम्बर से कॉल आती है एवं आपको कहा जाता है कि हम आपके मोबाइल कम्पनी से बोल रहे हैं जल्दी से अपना मोबाइल बंद कर लीजिये नहीं तो आपके मोबाइल वायरस से कारण फट जायेगा। ऐसी स्थिति में आप मोबाइल बंद कर लेते हैं एवं फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके परिजनों, रिश्तेदारों या मित्रों के नम्बर पर कॉल करके आपके साथ सड़क दुर्घटना या अन्य किसी घटना की बात कर आपसे उनकी मदद हेतु तत्काल रुपये मांगता है।

2. ट्रू कॉलर का दुरुपयोग

ट्रू कॉलर पर आपके परिजनों, रिश्तेदारों, व्यवसायिक मालिकों, उच्चाधिकारियो के नाम सेव करके कॉल करते हैं तो आप बिना नम्बर देखें जो नाम ट्रू कॉलर पर दिखायी देता है उसे ही सही मानकर कॉल उठा कर बात करने लगते हैं और उस नम्बर पर आप सभी जानकारी दे देते हैं तो ऐसे में कई प्रकार के फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं।

3. महिला मित्र से वीडियो कॉलिंग

आपको व्हाट्सअप,फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अन्जान महिला की वीडियो कॉल आती हो और वीडियो कॉल पर महिला निर्वस्त्र होकर बात करने लगती है और फिर आप भी उससे बात करने लगते हैं, ऐसी स्थिति में फ्रॉड करने वाले व्यक्ति आपकी कॉलिंग का वीडियो बना लेतें हैं, जिसमें आपका चेहरा दिखायी देता है या फिर आप भी आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। फिर उस वीडियो को आपके पास भेजकर आपकी समाज में छवि खराब करने की कहकर आपको ब्लैक मेल करके आपसे रुपयों की मांग करने लगते हैं।

4. सेल्फी से बायोमैट्रिक

सेल्फी लेते समय आप अपनी अंगुलियो को v विक्टरी के रुप में दिखाते हैं ऐसे में हाई रेज्यूलेशन टेक्नोलोजी का प्रयोग कर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति आपके अंगुलियों के चिन्ह ले लेते हैं फिर बायोमैट्रिक्स के माध्मय से आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं।

5. डिजिटल अरेस्ट

आपको एक कम्प्यूटर जनरेटेड वायस काल आती है या फिर नार्मल काल आती है और बताया जाता है जो आपका पार्सल जा रहा था कैंसिल हो गया है अधिक जानकारी के लिये के लिये हमारे कस्टमर केयर आधिकारी से बात किजिए, यहां पर जैसे ही काल कनेक्ट की जाती है उनके द्वारा बताया जाता है कि आपके सामान में गैरकानूनी सामान था, या फिर कोई सामान ले के जा रहा था जिसमें आपके नाम का आधार और सिम कार्ड लगा है अगर आपको लगता है कि आपके आधार

या सिम कार्ड का दुरूपयोग हुआ है तो आपकी तुरन्त एफआईआर कराइये नहीं तो आपको जेल भेज दिया जायेगा फिर वहां से अपना एविडेंस देते रहियेगा तो पीड़ित को लगता है कि यही पर हम अपनी एफआईआर दर्ज करा दे, तो सामने वाला कस्टमर केयर अधिकारी बताता है कि ये हाई स्क्योरिटी का मामला है सारी बाते गोपनीय रखियेगा किसी से अभी शेयर नही किजिएगा और आपको विडियो कालिंग एप स्काईपी डाउनलोड करा दिया जाता है सामने फर्जी पुलिस वाले बैठे होते है और वो आपका एफआईआर लिखना चालू करते है जैसे अपनी घटना बताते है कि मेरा आधार या सिम कार्ड गलत यूज हुआ है और अपना नाम पता बताते है तभी फर्जी पुलिस के तरफ से बैकग्राउंड से आवाज आने लगती है कि इसका नाम मनी लांड्रिंग/स्मलिंग भी नाम आया है और फर्जी पुलिस वाला कहता है कि आपको लाइन पर बने रहना होगा क्योंकि आपके नाम और भी हमारे यहां केस आये हैं जब तक जांच पूरी नही होती आप कैमरे के सामने बने रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग वेरिफाई करने के लिये आप को अपने खाते की डिटेल और बैंक बैलेंस दिखाना होगा अब जैसे ही पीड़ित दिखाता है कि खाते में इतना बैंलेंस है तो कहते है ये पैसे आपको हमारे सुरक्षित आरबीआई के खाते में ट्रांसफर करना होगा पैसे वेरिफाई कर ये पैसे आपको रिटर्न कर दिये जायेगें। पीड़ित डर कर पैसे भेज देता है जो आरबीआई का ना होकर साइबर अपराधी का खाता होता है फिर कहा जाता है तुक्का चलाते है कि हमारे आरबीआई के डिटेल में शो हो रहा है कि आपका और भी खाता है आपका ट्रेडिंग अंकाउंट भी है जल्दी से जल्दी ये पैसे आप आरबीआई के वैलेट में भेजिये और फिर ऐसे ही बातों से डराकर लाखों करोड़ो रूपये ले लेते है और पूरे पैसे जाने के बाद एहसास होता है कि आपके साथ साइबर ठगी हुयी है।

6. वॉयस क्लोनिंग या कहें आवाज की मिमिक्री के द्वारा फ्रॉड

सीन 1: आपके मोबाइल की स्क्रीन जगमगाती है और उसपर एक अनजान नंबर दिखाई देता है. आप कॉल उठाते हैं और जैसा होता है 'हेलो' बोलते हैं. दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो आप दोबारा से 'हेलो' बोलते हैं. तीसरी बार भी ऐसा होता है, फिर आप खीजकर कॉल काट देते हैं. थोड़ी देर मन में अपने टेलिकॉम ऑपरेटर को घटिया नेटवर्क के लिए कोसते हैं और फिर बात आई-गई हो जाती है. एकदम नॉर्मल सा सीन.

सीन 2: अचानक एक दिन आपके पास आपकी मां, पत्नी, पिता, भाई या बहन का फोन आता है और वो आपसे घबराई हुई आवाज में आपकी कुशल छेम पूंछते हैं. आप किस हॉस्पिटल में एडमिट हो या फिर किस पुलिश स्टेशन में हो, ये जानने की कोशिश करते हैं. आप चौंक कर कहते हैं- अरे भाई मैं तो एकदम ठीक हूं. असल झटका तो तब लगता है जब घर वाले आपको बताते हैं कि अभी तो तुम्हारा फोन आया था. तुमने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था. पैसे की जरूरत है. घबराए घरवालों से बताए गए अकाउंट या मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर भी कर दिए.

7.स्कूल गये बच्चों के नाम पर मैसेज/कॉल करके

आपके अन्जान नम्बर से कॉल आती है कि आपके बच्चे ने स्कूल में कुछ शर्मिंदगी वाली हरकत कर दी है या कोई आपराधिक घटना कारित कर दी है जिसके लिये पुलिस इसे थाने में पकड़ कर ले आयी है. फिर आपकी बात थाने की एसएचओ(फ्रॉड) से करायी जाती है और मामला रफा-दफा करने के लिये आपसे रुपयों की मांग की जाती है, और आप बच्चे के भविष्य को देखते हुये रुपये भेज देतें हैं।

8. कोरोना वैक्सीन के नाम पर कॉल करके

आपके कॉल आती है कि आपने अगर कोरोना वैक्सीन लगवा ली हो तो 1 दबायें न लगवाई हो तो 2 दबायें और जैसे ही आप 1 या 2 कोई भी बटन दबाते हैं तो आपके मोबाइल से बैंक सम्बन्धित सभी डिटेल आपके मोबाइल से ले ली जाती है।
कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

9. वाहन सीज कराने के नाम पर कॉल

आपके पास अन्जान नम्बर से कॉल आती है जिसमें आपसे आरटीओ, थाना प्रभारी या यातायात प्रभारी बनकर बात की जाती है और कहा जाता है कि आपके ड्राइवर ने आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया है मालमला रफा-दफा करने के नाम पर रुपयों की मांग की जाती है।

(8). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न

सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार, पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री सूर्यकान्तधर दुबे द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2022 धारा 171(ग)(i) भादवि0 व 128(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 66 आई एक्ट के आरोपी अभियुक्त रजनीश पाण्डेय पुत्र रामसागर पाण्डेय निवासी पाण्डेय का पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 6500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।